तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
5/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीया ने प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद ग्रस्त भूमियों मे वादी 1/12 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार है। वाद ग्रस्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड में वादी का बोलता नाम " गिरधारी पुत्र सांवत " दर्ज हो गया जबकि वास्तविक एवं सही नाम " नानूराम पुत्र सांवत " दर्ज होना चाहिए था। वादी के राशन कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा बैंक खाता आदि में वादी का सही नाम " नानूराम पुत्र सांवत " दर्ज है। अतः वादी अपना सही नाम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।
	वकील वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी के पहचान पत्र मतदाता, राशन कार्ड व आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड में वादी का नाम नानूराम पुत्र सांवत अंकित है। तथा सरपंच ग्राम पंचायत करणीदंपुरा व सहखातेदार प्रतिवादीगण सं० ता/ द्वारा प्रस्तुत स्वीकारोक्ति जवाब दावा से भी वादी के वाद कथन साबित होते है। अतः चाहि गयी दुरूस्ती न्यायोचित है। इसलिए वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री इस कदर किया जाता है कि :-
	आदेश
	भूमि ख० नं० 79, 80, 81/643, 83 से 87, 91/644 कुल किता – 9 कुल रकबा 5.39 हे० ग्राम भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० के राजस्व

[signature]

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
रिकार्ड में वादी का बोलता नाम "गिरधारी पुत्र सांवत हिस्सा 1/12 के स्थान पर सही नाम "नानूराम पुत्र सांवत हिस्सा 1/12" दुरुस्ती की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदानुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नक्शे से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 5-11-19 (रणजीत सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला .मुकाम खण्डेला

वइजलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

① नानूराम पुत्र सांवत जाति मीना निवासी भोजपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0 (वादिया)

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र सांवत
2. रामेश्वर
3. महावीर
4. बन्नाराम

(2–4) पुत्रगण स्व. ... पौत्र सांवत

दावा बाबत घोषणा

मुकदमा नं0 175 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री भजनाराम एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूवरू श्री बसन्त वर्मा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि भूमि ख0 नं0 79, 80, 81/643, 83 से 87, 91/644 कुल किता- 9 कुल रकबा 5.39 हे0 ग्राम भोजपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0 के राजस्व रिकार्ड में वादी का गलत नाम "गिरधारी पुत्र सांवत हिस्सा 1/2" के स्थान पर सही नाम "नानूराम पुत्र सांवत हिस्सा 1/2" दुरुस्ती की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।
निज..................मुबलिग..................बावत..................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 11 सन 2019 को जारी की गई।

दस्तखत 5/11/19
(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

(5) सुरेश ⎤
(6) राजेश ⎦ पुत्रगण श्योपाल पौत्रगण सुखा

(7) गिन्दूदेवी पत्नी श्योपाल

(8) सुन्दरलाल ⎤
(9) महेन्द्र ⎥ पुत्रगण भागीरथ पौत्रगण सुखा
(10) बलराम ⎦

(11) मन्जीदेवी पत्नी भागीरथ
समस्त जाति मीणा निवासी भोजपुर तहसील खण्डेला सीकर राज०।

(12) भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला।

(प्रतिवादीगण)

15/11/19

(रणजीत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner